मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

नंदे उर्फ़ नंदकिशोर सिंह

जनवरी 23, 2018

[न्यायमूर्तिगण एन 0 वी0 रमन्ना और एस 0 अब्दुल नज़ीर]

दंड संहिता – धारा 304, भाग–I और 307 –

अभियोजन पक्ष का कहना है कि कुछ महिलाएं शादी समारोह में भाग ले रही थीं, जब आरोपी–प्रतिवादी ने उन पर एक जलता हुआ गोबर का उपला फेंका और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया – इलाज के दौरान दो महिलाओं की मौत हो गई – तदनुसार, आरोपी–प्रतिवादी के खिलाफ धारा 307, 302 के तहत आरोप लगाए गए थे – हालांकि, विचारण न्यायालय ने यह पाया कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आरोपी ने जानबूझकर मृतक की हत्या की थी, उसे 302 के बजाय धारा 304, भाग –1 के तहत दंडित किया गया और उसे धारा 307 और 304, भाग –1 के तहत दोषी ठहराया गया – उच्च न्यायालय ने आरोपी–प्रतिवादी को आरोपों से बरी कर दिया – अपील पर, निर्णय : तत्काल मामले में, माना जाता है कि आरोपी और पीड़ितों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी – अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों में से, 5 गवाह (दो घायल सहित) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और मुकर गए – अभियोजन पक्ष के गवाहों (पी.डब्ल्यू. –5, पी.डब्ल्यू. –7) के बयानों में भौतिक विरोधाभास थे, जिन पर राज्य ने बहुत भरोसा किया है – घटना के 13 दिन बाद एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी और इस अत्यधिक देरी के लिए कोई व्यावहारिक स्पष्टीकरण नहीं था – इसके अलावा, गवाहों के बयान दर्ज करने में भारी देरी हुई और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया – उच्च न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर पूरी तरह से विचार किया है और उन्हें सही तरीके से ध्यान में रखा है और एफ सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह निश्चित रूप से एक ऐसा मामला नहीं है जहां आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित किया जा सकता है।

अपील खारिज करते हुए अदालत का

निर्णय : 1. इस मामले में, माना जाता है कि आरोपी और पीड़ितों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों में से, घायल (पी.डब्ल्यू. 1), (पी.डब्ल्यू. 3), (पी.डब्ल्यू. 4), घायल (पी.डब्ल्यू. 6) और (पी.डब्ल्यू. 8) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और वे मुकर गए। जहां तक कथित प्रत्यक्षदर्शियों पी.डब्ल्यू.5 और पी.डब्ल्यू.7 के बयानों का संबंध है, जिन पर राज्य के वकील ने बहुत भरोसा किया है, इसमें भौतिक विरोधाभास थे, क्योंकि पी.डब्ल्यू. 5 ने अपनी जिरह में कहा था कि जब घटना हुई थी तो यह अँधेरी रात थी, क्षेत्र अंधेरे में घिरा हुआ था क्योंकि कोई प्रकाश नहीं था और कोई दूसरे को पहचान नहीं सकता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने घटना के बाद पहली बार आरोपी का नाम सुना था। हालांकि, (P.W.7) ने उसी का खंडन किया। अपनी गवाही में उन्होंने कहा कि गैस लाइट की रोशनी में

सभी व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि बिजली की सप्लाई कट गई और अंधेरा हो गया। [पैरा 9] [500– जी–एच; 501–ए–बी]

2. अभियोजन मामले में एक और विसंगति यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 16.06.1994 को दर्ज की गई थी यानी घटना के 13 दिन बाद और इस असाधारण देरी के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कोई व्यावहारिक स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। साथ ही, गवाहों के बयान 28–06–1994 को दर्ज किए गए थे और बयान दर्ज करने में इतनी बड़ी देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। [पैरा 10] [501–B–C]

3. तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर पूरी तरह से विचार किया है और उन्हें सही तरीके से ध्यान में रखा है। प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीयता और घटना किन परिस्थितियों में हुई, इस पर विचार करने के बाद ही उच्च न्यायालय इस सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं है जहां आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित किया जा सकता है और बहुत विस्तार से इसके निष्कर्ष के कारणों को व्यक्त किया जा सकता है। [पैरा 11] [501–डी–ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 624 वर्ष 2016.

आपराधिक अपील संख्या 349 वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, ग्वालियर खंडपीठ के दिनांक 22.04.2009 के निर्णय एवं आदेश से की निर्णय एवं आदेश से।

सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी.एन. दुबे, अर्जुन गर्ग, अपीलकर्ता के वकील।

सुश्री निधि, प्रतिवादी की वकील।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा–

एन. वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति. 1. विशेष अनुमति से यह अपील आपराधिक अपील संख्या 349 वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, ग्वालियर खंडपीठ के दिनांक 22.04.2009 के निर्णय से उत्पन्न होती है। उक्त फैसले से, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ धारा 304, भाग 1 और 307, भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि के आदेश को उलट दिया और उसे आरोपों से बरी कर दिया।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 1 जून, 1994 को रात लगभग 9.30 बजे सिंघोनिया थाना के एस.एच.ओ. राजेंद्र पाठक (पी.डब्ल्यू. 12) को खरियाहर अस्पताल से एक टेलीफोन कॉल मिला कि गांव कोटला का पुरा की कुछ महिलाएं गंभीर रूप से जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। जांच में, यह पता चला कि उक्त तारीख को, पीड़ित, अर्थात् परवेश, दीपा, माया, रेखा और बेबी नाथी सिंह (पी.डब्ल्यू. 3) के घर पर शादी समारोह में भाग ले रहे थे, जब आरोपी–प्रतिवादी ने उन पर जलता हुआ गोबर का उपला फेंका और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, आई.ओ. ने मौके का नक्शा–नजरी तैयार किया, मिट्टी के तेल की एक कैन बरामद की और अपराध का मामला दर्ज किया।

3. उपचार के दौरान 3 जून, 1994 को जलने के कारण दीपा की मृत्यु हो गई और एक अन्य पीड़ित माया ने 18 जून, 1994 को दम तोड़ दिया। तदनुसार, आरोपी–प्रतिवादी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 307 और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए और मामले को सत्र न्यायालय में ले जाया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायाधीश, यह देखने पर कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आरोपी ने जानबूझकर मृतक की हत्या की थी, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जलते हुए गोबर का उपले आरोपी द्वारा लापरवाही से महिलाओं पर फेंका गया था, जिसके लिए वह धारा 302 के बजाय धारा 304, भाग 1, भा.दं.सं. के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। भा.दं.सं. मामले के उस दृष्टिकोण में, विचारण न्यायलय ने आरोपी–प्रतिवादी को दोषी ठहराया और उसे भा.दं.सं. की धारा 304, भाग 1 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दस साल (दो आरोप) के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई और भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

5. विचारण न्यायलय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी–अभियुक्त ने अपील में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने यहां दिए गए फैसले से आरोपी की अपील को यह देखते हुए स्वीकार कर लिया कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे अपराध को स्थापित करने में विफल रहा है, और उसे आरोपों से बरी कर दिया। इसलिए राज्य अपील में है।

6. राज्य का मामला यह है कि अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले विचारण न्यायालय का निर्णय तथ्यों की सटीक समझ और विवेकपूर्ण तरीके से अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों का विधिवत विश्लेषण करने के बाद पारित किया गया था। लेकिन, उच्च न्यायालय ने तथ्यों की गलत समझ और सबूतों की अनदेखी पर विचारण न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया और कानून की त्रुटिपूर्ण प्रशंसा लागू करके आरोपी को बरी कर दिया। राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी ने जानबूझकर गैर इरादतन हत्या का अपराध किया है और उसे पता था कि उसके कृत्य से पीड़ितों को गंभीर चोटें आएंगी जिससे उनकी मौत हो सकती है। उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को उचित महत्व नहीं दिया, लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी को अधिक महत्व देते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया और गलत घोषणा की कि प्रतिवादी–आरोपी का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था।

7. दूसरी ओर, सुश्री निधि, विद्वान वकील, जिन्हें आरोपी–प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के माध्यम से नियुक्त किया गया था, ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

8. हमने विद्वान वकील की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। मामले में तथ्यों और घटनाओं के बारे में कोई विवाद नहीं है। उसी समय, नीचे दिए गए दोनों न्यायालय इस आम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरोपी–प्रतिवादी किसी विशेष व्यक्ति को मारने का इरादा नहीं रखते हैं। अभिलेखों को देखने से, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने कथित प्रत्यक्षदर्शियों (पी.डब्ल्यू. 5 और 7) के बयानों के परिणामस्वरूप और घटनाओं की समवर्ती श्रृंखला पर विचार करते हुए आरोपी–प्रतिवादी के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश पारित किया। लेकिन, तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष को एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए सभी उचित संदेहों से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम होना चाहिए।

9. इस मामले में, माना जाता है कि आरोपी और पीड़ितों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों में से माया घायल (पी.डब्ल्यू. 1), नत्थी सिंह (पी.डब्ल्यू. 3), जुगराज सिंह (पी.डब्ल्यू. 4), परवेश–घायल (पी.डब्ल्यू. 6) और रंजीत सिंह तोमर (पी.डब्ल्यू. 8) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं

किया और वे मुकर गए। जहां तक कथित प्रत्यक्षदर्शियों पी.डब्ल्यू.5 और पी.डब्ल्यू.7 के बयानों का संबंध है, जिन पर राज्य के विद्वान वकील ने बहुत भरोसा किया है, इसमें भौतिक विरोधाभास थे, क्योंकि पी.डब्ल्यू. 5 (रेखा) ने अपनी जिरह में कहा था कि जब घटना हुई तो यह अँधेरी रात थी, क्षेत्र अंधेरे में घिरा हुआ था क्योंकि कोई प्रकाश नहीं था और कोई दूसरे को पहचान नहीं सकता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने घटना के बाद पहली बार आरोपी का नाम सुना था। हालांकि, सोबरन सिंह (पी.डब्ल्यू. 7) ने इसका खंडन किया। पैरा 8 में अपने बयान में कहा गया है कि गैस प्रकाश के प्रकाश में सभी व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि बिजली की सप्लाई कट गई और अंधेरा हो गया।

10. अभियोजन मामले में एक और विसंगति यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 16.06.1994 को दर्ज की गई थी यानी घटना के 13 दिन बाद और इस असाधारण देरी के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कोई व्यावहारिक स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। हम यह भी पाते हैं कि गवाहों के बयान 28.06.1994 को दर्ज किए गए थे और बयान दर्ज करने में इतनी बड़ी देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

11. आम तौर पर, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक कि अन्य बातों के अलावा, नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट गलती नहीं की जाती है या साक्ष्य के महत्वपूर्ण टुकड़ों पर विचार करने में कोई चूक नहीं होती है। लेकिन यहां इस मामले में, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर पूरी तरह से विचार किया है और उन्हें सही तरीके से ध्यान में रखा है। प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीयता और घटना किन परिस्थितियों में हुई, इस पर विचार करने के बाद ही उच्च न्यायालय इस सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं है जहां आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित किया जा सकता है और बहुत विस्तार से इसके निष्कर्ष के कारणों को व्यक्त किया जा सकता है।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को बाधित करने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

अंकित ज्ञान। अपील खारिज।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.



Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 8896551733